राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामप्रकाश बनाम श्रवण कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/04/2026	1958/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/04/2026 को पेश हो	 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 की बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17/11/2025 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोक किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसके सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है किन्तु ऐसा नही कर अपीलार्थी द्वारा अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनौती देकर निरस्त करवाना चाहा है, जिसे स्वीकार किया जाना विधिसम्मत जाहिर नही होता है	इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीयक्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में अपीलार्थी असफल रहे | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 17/11/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	